

## बिल का सारांश

### डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2024

- डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2024 को 28 फरवरी, 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। बिल डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक्ट, 2014 में संशोधन करता है। एक्ट के तहत महाराष्ट्र में एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
- सर्टिफिकेट स्तर के बाद के पाठ्यक्रमों में पठन का माध्यम:** एक्ट के तहत, सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा और परीक्षा का माध्यम मराठी या अंग्रेजी हो सकता है। सर्टिफिकेट स्तर के बाद के पाठ्यक्रम केवल अंग्रेजी में होने आवश्यक हैं। बिल निर्दिष्ट करता है कि सर्टिफिकेट स्तर के बाद के पाठ्यक्रम मराठी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। यह परिवर्तन 20 जुलाई, 2023 से लागू माना जाएगा।

**अस्वीकरण:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।